इस पृष्ठ पर

- यात्रा प्रतिबंध
  - ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों में अपवाद के लिए निवेदन करने के बारे नवीनतम जानकारी
  - अपवाद श्रेणियाँ
  - व्यक्तिगत अपवाद
  - यात्रा करने के लिए अनुकंपा-आधारित और प्रबल कारण
  - अपवाद के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

यात्रा प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कड़े सीमा नियंत्रण लागू किए हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान करने के लिए बहुत ही सीमित उड़ानें उपलब्ध हैं और हो सकता है कि आप इस समय यात्रा करने में सक्षम न हों। यात्रा प्रतिबंध परिवर्तन के अधीन हैं। कृपया नियमित रूप से यहाँ जाँच करें। देखें: राष्ट्रीय कैबिनेट का मीडिया वक्तव्य।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल हैं, अपने आगमन के नगर में 14 दिनों के लिए होटल जैसी किसी नियत की गई सुविधा में अनिवार्य रूप से संगरोध (क्वारंटाइन) करना होगा। यात्रियों के लिए कोरोनावायरस (COVID-19) के संबंध में सलाह देखें। आपको संगरोध के शुल्क□□ का भुगतान स्वयं करने की आवश्यकता हो सकती है। संगरोध की आवश्यकताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य या राज्य-क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें।

यदि आप अपवाद की श्रेणी में नहीं आते/आती हैं या आपको वर्तमान यात्रा प्रतिबंधों के लिए व्यक्तिगत अपवाद प्राप्त नहीं है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश नहीं कर सकते/सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंधों में अपवाद के लिए निवेदन करने के बारे नवीनतम जानकारी

हम एक नए प्रयोजन-हेतु निर्मित सेवा उपलब्धता प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए यात्रा अपवाद के निवेदन को जमा और ट्रैक करना आसान बना रहे हैं। नए यात्रा प्रतिबंध अपवाद पोर्टल के उपयोग से कई लाभ मिलेंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्यात्मकता

- आपके निवेदन की तत्काल अभिस्वीकृति
- समर्थनकारी दस्तावेजों को आसानी से संलग्न और अद्यतित (अपडेट) किया जा सकता है
- सामूहिक और पारिवारिक निवेदन जोड़े जा सकते हैं
- आप अपने निवेदन की प्रगति देख सकत□/सकती हैं
- निर्णय किए जाने पर तत्काल अधिसूचना।

यदि आपने 17 जुलाई 2020 के दिन नया पोर्टल उपलब्ध होने से पहले अपना आवेदन जमा किया है, तो हम शुक्रवार 31 जुलाई 2020 को शाम 5बजे, ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी मानक समय तक आपके निवेदन पर अपना निर्णय ले लेंगे। यदि आपने 17 जुलाई 2020 से पहले आवेदन जमा किया था और आपको हमारी ओर से अधिसूचना नहीं मिलती है, तो कृपया एक नया निवेदन जमा करें और हम आपके आवेदन के बारे में आपसे संपर्क करेंगे।

यात्रा अपवाद के लिए आवेदन करें

अपवाद श्रेणियाँ

आप यात्रा प्रतिबंधों से स्वतः मुक्त हैं और ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए (बिना व्यक्तिगत अपवाद प्राप्त किए) यात्रा कर सकते/सकती हैं, यदि आप:

- ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं
- ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी हैं
- ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी के सगे/सगी परिजन हैं
- आप सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाले/वाली न्यू ज़ीलैंड के/की नागरिक और उनके सगे/सगी परिजन हैं
- ऑस्ट्रेलिया के लिए नियुक्त किए गए राजनयिक हैं (उपवर्ग 995 वीज़ा धारक)
- 72 घंटे या इससे कम अवधि के अंदर ऑस्ट्रेलिया से होकर पारगमन करने वाले/वाली यात्री हैं
- एयरलाइन चालकदल के/की सदस्य हैं
- समुद्री चालकदल के/की सदस्य हैं, जिनमें समुद्री पायलट भी शामिल हैं।
- सरकार द्वारा अनुमोदित मौसमी कार्यकर्ता कार्यक्रम [Seasonal Worker Program] या प्रशाँत श्रम योजना [Pacific Labour Scheme] के तहत काम पर रखे गए/रखी गई हैं

आपको यात्रा करते समय उपरोक्त में से किसी एक श्रेणी की आवश्यकताएँ पूरी करने वाले प्रमाण अपने साथ रखने होंगे। अतिरिक्त प्रमाणों के लिए निवेदन किया जा सकता है।

व्यक्तिगत अपवाद

ऑस्ट्रेलियाई सीम□ बल के आयुक्त [Commissioner of the Australian Border Force] आपको व्यक्तिगत अपवाद दे सकते हैं, यदि आप:

- COVID-19 के उत्तर में सहायता के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलियाई सरकार या किसी राज्य या राज्य-क्षेत्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा दिए गए आमंत्रण पर प्रवेश करने वाल□ गैर-नागरिक हैं

- महत्वपूर्ण या विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान कर रहे/रही हैं, जिनमें एयर एम्बुलेंस, चिकित्सीय निकासी और महत्वपूर्ण चिकित्सीय आपूर्तियों का वितरण शामिल है
- महत्वपूर्ण कुशलता-प्राप्त गैर-नागरिक हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करेंगे/करेंगी
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार या किसी राज्य या राज्य-क्षेत्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा समर्थित गैर-नागरिक हैं, जिसका प्रवेश अन्यथा राष्ट्रीय हित में होगा
- सैन्यकर्मी है, जिनमें सेना पदस्थिति समझौते [Status of Forces Agreement], राष्ट्रमंडल सशस्त्र बल [Commonwealth Armed Forces], एशिया प्रशांत बल [Asia Pacific Forces] और सशस्त्र सेना पदस्थिति समझौते [Status of Armed Forces Agreement] के हिस्से के रूप में कार्यरत निकाय भी शामिल हैं
- अनुकंपा-आधारित और प्रबल कारणों की वजह से यात्रा कर रहे/रही हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा आरंभ करने से पहले आपको वीज़ा और अपवाद प्राप्त हो जाना चाहिए। आप अपवाद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं और अपने दावों के समर्थन में आपको उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे। यदि अपर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराए जाते हैं, तो निवेदनों पर और अधिक विचार किए बिना अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सभी दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से अंग्रेज़ी में अनुवादित किया जाना आवश्यक है।

आपको अपनी नियोजित यात्रा की तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले, परंतु तीन महीनों के अंदर अपवाद के लिए आवेदन करना चाहिए।

आपके निवेदन में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- यात्री विवरण: नाम, जन्मतिथि, वीज़ा का प्रकार और सँख्या, पासपोर्ट सँख्या
- ऑस्ट्रेलिया में निवास का पता और फोन नंबर
- ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपके कारण: आपको अपवाद क्यों दिया जाना चाहिए
- समर्थन कथन: आप अपवाद के लिए किसी एक आधार को कैसे पूरा करते/करती हैं
- संलग्न प्रमाण।

यदि आपको अपवाद **नहीं** दिया जाता है, तो आपको अपनी यात्रा योजनाएँ जारी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया आने वाले विमान में सवार नहीं होने दिया जाएगा। यदि आपको यात्रा अपवाद प्राप्त हो जाता है, तो आपको उस अपवाद के निर्णय का प्रमाण हवाईअड्डे ले जाना होगा।

यात्रा करने के लिए अनुकंपा-आधारित और प्रबल कारण

ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल [Australian Border Force] के आयुक्त [Commissioner] अनुकंपा और प्रबल कारणों के आधार पर आपको यात्रा अपवाद दे सकते हैं। अनुकंपा-आधारित और प्रबल कारणों में किसी निकट परिजन के गंभीर रूप से बीमार पड़ने या मृत्यु होने पर यात्रा करने की आवश्यकता शामिल है, लेकिन ये केवल इसी तक सीमित नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए यात्रा आरंभ करने से पहले आपको वीज़ा और अपवाद प्राप्त हो जाना चाहिए। आप अपवाद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं और अपने दावों के समर्थन में आपको उपयुक्त

प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे। यदि अपर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराए जाते हैं, तो निवेदनों पर और अधिक विचार किए बिना अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सभी दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से अंग्रेज़ी में अनुवादित किया जाना आवश्यक है।

जहाँ संभव हो, आपको अपनी नियोजित यात्रा की तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले, परंतु तीन महीनों के अंदर अपवाद के लिए आवेदन करना चाहिए। यदि आप किसी निकट परिजन की मृत्यु या गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण यात्रा कर रहे/रही हैं, तो आप इस समय-सीमा के अंदर आवेदन कर सकते/सकती हैं और हम आपके आवेदन को प्राथमिकता देंगे।

यदि आपको अपवाद **नहीं** दिया जाता है, तो आपको अपनी यात्रा योजनाएँ जारी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया आने वाले विमान में सवार नहीं होने दिया जाएगा। यदि आपको यात्रा अपवाद प्राप्त हो जाता है, तो आपको उस अपवाद के निर्णय का प्रमाण हवाईअड्डे ले जाना होगा।

अपवाद के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

आपको अपनी नियोजित यात्रा की तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले, परंतु तीन महीनों के अंदर अपवाद के लिए आवेदन करना चाहिए।

यात्रा अपवाद का निवेदन पूरा करने के लिए आपके पास पहले से ही वीज़ा होना चाहिए और आपको अपने निवेदन के समर्थन में जानकारी एवं दस्तावेज प्रदान करने होंगे। यदि अपर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराए जाते हैं, तो निवेदनों पर और अधिक विचार किए बिना अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- पहचान का प्रमाण
- आपके पास पहले से ही वैध वीज़ा होने का प्रमाण
- यात्रा कार्यक्रम
- विवाह, जन्म, मृत्यु का/के प्रमाण-पत्र
- संबंध या निवास का प्रमाण (उदाहरण के लिए, साझा किराएदारी समझौता, सँयुक्त बैंक खाता, आदि)
- डॉक्टर या अस्पताल की ओर से पत्र, जिसमें यह बताया गया हो कि आपके लिए यात्रा करना आवश्यक क्यों है
- कार्य-नियोक्ता की ओर से पत्र, जिसमें यह बताया गया हो कि आपके लिए यात्रा करना आवश्यक क्यों है
- व्यवसाय या सरकारी एजेंसी की ओर से समर्थन पत्र, जिसमें यह बताया गया हो कि आपकी कुशलताएँ महत्वपूर्ण क्यों हैं
- आपके दावों के समर्थन में एक वैधानिक घोषणा।

कृपया एक यात्री के लिए एक से अधिक निवेदन जमा न करें, क्योंकि केवल सबसे हाल के निवेदन का ही प्रसंस्करण किया जाएगा।

यात्रा अपवाद प्राप्त हो जाने के बावजूद भी आपको इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी।

[यात्रा अपवाद के लिए आवेदन करें]